राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1276/2024

मोहन लाल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, प्रतापगढ़ (राज.)।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, प्रतापगढ़ (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.03.2024
आदेश की दिनांक : 28.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजपाल धनखड़, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता के पद पर आदेशों की प्रतीक्षा में शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 09.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अरनोद, प्रतापगढ़ किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण 500 कि.मी. दूर किया गया है। चूंकि अपीलार्थी जयपुर जिले का

निवासी है और अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में कार्यरत है। अपीलार्थी को माननीय न्यायालय महानगर जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 22.06.2023 के द्वारा निर्दोष घोषित किया गया और तदुपरान्त उसे आदेशों की प्रतीक्षा में रखने उपरांत जिला प्रतापगढ़ पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी जयपुर जिले में पदस्थापित है। परंतु अपीलार्थी का स्थानान्तरण 500 कि.मी. दूर किया गया है, जो नीति विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज से बाहर होने से उसकी राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के अनुसार उसकी वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। ऐसे मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16742/2023 नीमा बनाम राज्य व अन्य में ऐसे स्थानान्तरण को अनुचित माना है। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया स्थानान्तरण आदेश उक्त नियम एवं विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन स्कूल व्याख्याता के पद पर आदेशों की प्रतीक्षा में शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 09.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अरनोद, प्रतापगढ़ किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज से बाहर होने के आधार पर उसकी वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पडने का प्रश्न है, अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड प्रथम व्याख्याता के पद पर कार्यरत है, जो राज सेवा स्तर का अधिकारी/कार्मिक है और ऐसे अधिकारियों/कार्मिकों का स्थानान्तरण राज्य के अंदर कहीं पर भी छात्रहित में किया जा सकता है। चूंकि अपीलार्थी की वरिष्ठता माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में संधारित होती है, जो राज्य स्तर की एक ही स्थान पर संधारित होती है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज से बाहर होने पर उसकी वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर छात्रहित में ली जानी है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने

का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य